रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23082023-248243
CG-MH-E-23082023-248243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945
No. 584] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 22 अगस्त, 2023

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/148.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,-

   I. विनियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

   “ **‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ से संबंधित अपेक्षाएँ और मानदंड**

20. (1)(क) 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंड आवेदक, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन), उसके शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनल) पर हमेशा लागू रहेंगे ।

(ख) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी शेयरधारक, निदेशक और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति हमेशा 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों को पूरा करें ।

(2) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, आवेदक, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' तभी माना जाएगा, जब –

(क) ऐसे व्यक्ति के बारे में आम तौर पर यह राय हो कि वह अपने कामकाज में पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी बरतता है, जैसे कि उसके बारे में यह राय हो कि –

(i) वह पैसों के लेनदेन में ईमानदार है;

(ii) उसकी अच्छी साख है और उसका चरित्र भी अच्छा है; और

(iii) वह ईमानदार है;

(ख) ऐसे व्यक्ति -

(i) को किसी न्यायालय द्वारा किसी आर्थिक अपराध का या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी न ठहराया गया हो;

(ii) के खिलाफ परिसमापन (वाइंडिंग-अप) का आदेश पारित न किया गया हो;

(iii) को दिवालिया घोषित न किया गया हो और यदि किया गया हो तो उसे दिवालियेपन के मामले में बरी कर दिया गया हो;

(iv) को प्रतिभूतियों में लेनदेन करने या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से किसी भी तरह से जुड़ने से रोकते हुए, प्रतिषिद्ध करते हुए या वर्जित करते हुए बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित न किया गया हो, और यदि पारित किया गया हो, तो आदेश में जितनी अवधि का जिक्र हो उस अवधि को पूरे हुए तीन वर्ष बीत चुके हों;

(v) के खिलाफ ऐसा कोई अन्य आदेश बोर्ड द्वारा पारित न किया गया हो, जो प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े किसी मामले से संबंधित हो, और यदि पारित किया गया हो, तो आदेश की तारीख से तीन वर्ष पूरे हो चुके हों:

परंतु यह कि उप-खंड (iv) और (v) के प्रयोजनार्थ, यदि किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, तो उससे उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि आदेश में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख न किया जाए ।

(vi) के खिलाफ अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत बोर्ड की वसूली कार्यवाहियाँ न चल रही हों;

(vii) की वित्तीय स्थिति अच्छी हो या उसे 'इरादतन चूककर्ता' (जानबूझकर चूक करने वाले व्यक्ति) की श्रेणी में न रखा गया हो; और

(viii) अयोग्यता की ऐसी ही कोई अन्य शर्त, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए ।

(3) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के शेयरधारकों, निदेशकों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों को तभी 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' माना जाएगा, जब -

(क) वे इस विनियम के उप-विनियम (2) में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करते हों; और

(ख) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित न किया गया हो; और

(ग) उन्हें नैतिकता के आधार पर दोषी न ठहराया गया हो ।

(4) यदि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के किसी निदेशक या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति को उप-विनियम (3) के अनुसार 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं माना जाता, तो ऐसे में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम को उस व्यक्ति के अयोग्य हो जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना होगा, और यदि ऐसा न किया गया तो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के खिलाफ 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

(5) यदि उप-विनियम (2) के अनुसार कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) अयोग्य हो जाए, तो उसका अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि उसके निदेशक या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति भी 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं रहेंगे, बशर्ते कि उन्हें भी उसी मामले में अयोग्य न ठहराया जाए ।

(6) बोर्ड जब किसी व्यक्ति के बारे में यह तय करेगा कि वह व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' के मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, उस समय बोर्ड किसी दूसरे विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ पारित किए गए आदेश पर भी गौर कर सकेगा ।

(7) यदि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) द्वारा किसी व्यक्ति को 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' माने जाने के बारे में लिए गए निर्णय को लेकर कोई सवाल खड़ा होता है, तो ऐसे मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।"

II. विनियम 23 में, उप-विनियम (14) में, खंड (ख) में, परंतुक में, शब्दों "ऐसे निदेशक हों" के स्थान पर शब्द "ऐसे निदेशक शामिल हों" आ जाएँगे ।

III. अनुसूची-II में, भाग-ख में, मद-I में, खंड (झ) में, उप-खंड (ii) में, शब्दों तथा चिह्न "शामिल हैं - निगरानी संबंधी विभिन्न कार्य" के स्थान पर शब्द "निगरानी संबंधी विभिन्न कार्य शामिल हैं" आ जाएँगे ।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./367/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –

(क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा

(ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन2020/32, द्वारा

(घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा

(ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा

(च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा

(छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा

(ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा

(झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/139, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd August, 2023

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, —

I. regulation 20 shall be substituted with the following, namely, -

"Requirement and criteria of fit and proper

20(1) (a) The 'fit and proper person' criteria shall apply to the applicant, recognised stock exchange, recognised clearing corporation, its shareholders, directors and key management personnel at all times.

(b) The recognised stock exchange or recognised clearing corporation shall ensure that all its shareholders, directors and key management personnel are fit and proper persons at all times.

(2) For the purpose of these regulations, an applicant, a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation shall be deemed to be a fit and proper person, if -

(a) such a person has a general reputation and record of fairness and integrity, including but not limited to -

(i) financial integrity;

(ii) good reputation and character; and

(iii) honesty;

(b) such a person has not incurred any of the following disqualifications —

(i) conviction of the person by a court for any economic offence or an offence of the securities laws;

(ii) an Order for winding up has been passed against the person;

(iii) the person has been declared insolvent and has not been discharged;

(iv) an Order; restraining, prohibiting or debarring the person, from dealing in securities or from accessing the securities market, has been passed by the Board and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the Order has not elapsed;

(v) any other Order against the person which has a bearing on the securities market, has been passed by the Board and a period of three years from the date of the Order has not elapsed:

Provided that for the purpose of sub-clauses (iv) and (v), any Order passed by the Board, against a recognised stock exchange or recognised clearing corporation shall not affect the operation of such recognised stock exchange or recognised clearing corporation unless expressly mentioned in the Order.

(vi) the Board has initiated recovery proceedings under the Act or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) that are pending;

(vii) the person is not financially sound or has been categorized as a wilful defaulter; and

(viii) any other disqualification as may be specified by the Board from time to time.

(3) For the purpose of these regulations, the shareholders, directors or key management personnel of the recognised stock exchange or recognised clearing corporation, shall be deemed to be fit and proper if, -

(a) they fulfil the criteria specified under sub-regulation (2) of this regulation; and

(b) they have not been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and have not been declared a fugitive economic offender; and

(c) they have not been convicted of an offence involving moral turpitude.

(4) If any director or key management personnel of a recognised stock exchange or recognised clearing corporation is not deemed to be fit and proper under sub-regulation (3), the recognised stock exchange or recognised clearing corporation shall replace such a person within thirty days from the date of such disqualification, failing which the fit and proper person criteria may be invoked against the recognised stock exchange or recognised clearing corporation.

(5) Any disqualification of the recognised stock exchange or recognised clearing corporation under sub-regulation (2) shall not have any bearing on the fit and proper status of the directors or key management personnel unless the directors or key management personnel are also found to incur the same disqualification in the said matter.

(6) An order passed against the person by any other regulatory authority may be taken into account by the Board while determining the fit and proper person criteria.

(7) If any question arises on the decision of a recognised stock exchange or recognized clearing corporation as to whether a person is a fit and proper person, the decision of the Board on such question shall be final."

II. In regulation 23, in sub-regulation (14),

(i) in clause (a), the words "comprise of", wherever they occur, shall be substituted with the words "consist of".

(ii) In the proviso to clause (b), the words "comprises of" shall be substituted with the words "consists of"

III. In Schedule II, in Part B, in Item I, in clause (i), in sub-clause (ii), the words "comprises of" shall be substituted with the words "consists of".

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./367/2023-24]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.

2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on–

(a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.

(b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.

(d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.

(e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.

(f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.

(g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.

(h) 2nd March, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.

(i) 24th July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA